3 308

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक 11-2-05

क: एफ 8 (418) जविप्रा/वित/भू.रू./97 – 78

आदेश

कृषि भूमि के नियमन हेतु जमा होने वाली नियमन/हस्तानान्तरण राशि की 40 प्रतिशत हिस्सा शि राज्य सरकार को भेजनी होती है। नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 05(8)नवि/3/99 दिनांक 29.12.2004 के द्वारा राज्य सरकार की 40 प्रतिशत हिस्सा राशि सीधे ही ज्य सरकार के खातें में जमा करवाने के आदेश प्रसारित किये गये है।

इन आदशों की अनुपालना में भविष्य में नियमन सम्बन्धी समस्त प्रकरणों में जमा होने वाली नियमन/हस्तान्तरण राशि को 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत राशि को दो भागों में विभक्त किया जावेगा। प्राधिकरण की 60 प्रतिशत हिस्सा राशि पूर्व की तरह प्राधिकरण के खातें में जमा होगी तथा 40 प्रतिशत राशि को राज्य सरकार के चालान (संलग्न) में निम्न मद संख्या में भरकर आवेदक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की किसी भी शाखा में राज्य सरकार के खाते में जमा करायी जायेगी।

0029-भू-राजस्व,
800- अन्य प्राप्तियाँ,
(27) कृषि भूमि को आबादी भूमि में बदलने की फीस,
नगरीय विकास विभाग के माध्यम से

नियमन/हस्तान्तरण राशि में राज्य सरकार की 40 प्रतिशत हिस्सा राशि सीधे ही राज्य सरकार के खाते में जमा कराने की प्रक्रिया निम्न होंगी:-

1. राशि की गणना सबंधित जोन के लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार द्वारा की जावेंगी।
2. गणना के आधार पर जोन लिपिक द्वारा निर्धारित चालान 4 प्रतियों में भरकर संलग्न प्रारूप के चालान रजिस्टर में इन्द्राज किया जायेगा एवं सबंधित उपायुक्त के हस्ताक्षर के उपरान्त आवेदक को जारी करेंगा।
3. आवेदक द्वारा एस.बी.बी.जे. की किसी भी शाखा में राशी जमा की जायेंगी तथा जमा की पुष्टि का सत्यापन चालान रजिस्टर से किया जा सकेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

सचिव

प्रतिलिपि:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3. उपशासनसचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. निदेशक (वित्त/आयोजना/विधि/अभियांत्रिकी), जविप्रा, जयपुर
5. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम), जविप्रा, जयपुर
6. अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
7. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर

समस्त उपायुक्त, जोन............, जविप्रा, जयपुर
समस्त जोनल अभियन्ता, जविप्रा, जयपुर
उपनिदेशक (व्यय एवं बजट), जविप्रा, जयपुर
वरिष्ठ लेखाधिकारी (भुगतान), जविप्रा, जयपुर
समस्त कनिष्ठ लेखाकार जोन......., जविप्रा, जयपुर
नोटिस बोर्ड, जविप्रा, जयपुर
ी पत्रावली

सचिव